

शिक्षा का अधिकार:- प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं समाधान

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
आवेदन हेतु पात्रता से संबंधित जिज्ञासा		
1	आनलाईन लाटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्रायवेट स्कूलों की किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता।	अधिनियम में किये गये प्रावधान अनुसार गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में प्रवेश की पात्रता होगी।
2	आरटीई के तहत किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है।	<p>ऐसे बच्चे आवेदन हेतु पात्र है जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो:-</p> <p>वंचित समूह:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अनुसूचित जाति, ● अनुसूचित जनजाति, ● वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, ● विमुक्त जाति परिवार(विमुक्त जाति में शामिल है- बंजारा, हाबुडा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, कुचबंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, सन्धिया, पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे। ● निःशक्त बच्चे (मैंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार) ● HIV ग्रस्त बच्चे <p>कमजोर वर्ग:- वैध बीपीएल कार्ड/अंत्योदयकार्ड धारी परिवार के बच्चे।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● अनाथ बच्चे (अनाथ आश्रम में पडने वाले बच्चे) ● कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही।

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर									
3	किस उम्र के बच्चों को प्रवेश की पात्रता है।	<p>आयु के संबंध में निम्नानुसार पात्रता होगी</p> <table border="1" data-bbox="773 260 1490 541"> <thead> <tr> <th>कं.</th> <th>प्रवेश आवेदन की कक्षा</th> <th>न्यूनतम आयु</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>नर्सरी / के.जी.-1 / के.जी.-2</td> <td>न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td colspan="2">कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।</td> </tr> </tbody> </table> <p>सत्र 2021-22 के निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जावेगी।</p>	कं.	प्रवेश आवेदन की कक्षा	न्यूनतम आयु	1	नर्सरी / के.जी.-1 / के.जी.-2	न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष	2	कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।	
कं.	प्रवेश आवेदन की कक्षा	न्यूनतम आयु									
1	नर्सरी / के.जी.-1 / के.जी.-2	न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष									
2	कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नहीं हो।										
4	किन स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं।	<p>आवेदक जिस क्षेत्र का निवासी है उस ग्राम/वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन दर्ज कर सकते हैं।</p> <p><u>निवास का प्रमाण पत्र :-</u></p> <p>ग्राम अथवा वार्ड/पड़ोस/पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक/अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगे:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मतदाता परिचय पत्र, ● राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची, ● ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना), ● पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेन्स/बिजली बिल/पानी बिल, ● कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक/अभिभावक के निवास का पता अंकित हो। <p>यदि पालक/अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होंगे।</p>									

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
5	मेरा बच्चा पूर्व में आरटीई के तहत प्रायवेट स्कूल में निःशुल्क पढ रहा है तो क्या मैं दोबारा अब आवेदन कर सकता हू।	नहीं। आवेदन हेतु अपात्र है।
6	क्या पूर्व से आरटीई के तहत अध्ययन कर रहा बच्चा फिर से आवेदन कर सकता है।	नहीं। यदि आवेदक पूर्व में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निशुल्क अध्ययन किया है अथवा कर रहा है तो वह इस हेतु पुनः आवेदन हेतु पात्र नहीं है।
आवेदन पत्र के संबध में जिज्ञासा		
1	आवेदन का प्रारूप कहाँ से प्राप्त कर सकते है	आरटीई पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। संबंधित जिला शिक्षा केन्द्र, बीआरसी, जिल शिक्षा केन्द्र, जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल केन्द्र, जनशिक्षा केन्द्र, प्रायवेट स्कूल से भी प्राप्त किया जा सकता है।
2	आवेदन पत्र कहाँ जमा करना होगा।	<p>आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं किये जा सकेंगे। अतः आवेदको द्वारा किसी भी स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जायेगी।</p> <p>आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं कर सकते है। यदि ऑनलाइन आवेदन करने में आवेदक को किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो वह संबंधित विकाखण्ड के जनपद शिक्षा केन्द्र (बी. आर.सी. कार्यालय) में जाकर आरटीई प्रवेश हेतु स्थापित हेल्प डेस्क की सहायता से प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है।</p> <p>आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल—</p> <p>पर भी उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन अशासकीय स्कूल नहीं है तो तीन से कम आवेदन दर्ज करने की छूट रहेगी।</p>
3	अधिकतम कितने फार्म जमा किये जा सकते है।	केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन। एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त कर

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
		दिया जायेगा।
4	ऑनलाइन फार्म जमा करने के बाद ओटीपी प्राप्त हुआ है इसका क्या करना है।	आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म दर्ज करने के उपरांत पालक के फार्म में दर्ज मोबाइल नंबर-1 पर एसएमएस द्वारा एक ओटीपी पासवर्ड प्राप्त होगा इसको दर्ज करने के उपरांत आवेदन की पुष्टि कर लॉक करे तभी आवेदन पत्र सेव होगा एवं इन्ही को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। अतः सलाह दी जाती है कि फार्म भरते समय मोबाइल अपने पास चालू करके रखें। इसके बाद आवेदन पत्र की पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखे सत्यापन प्रपत्र एवं आवंटन पत्र निकालते समय इसकी आवश्यकता होगी।
	सत्यापन के संबंध में जिज्ञासा	
1	ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कहाँ होगा	आवेदक जिस ग्राम या वार्ड का निवासी है उसके नजदीकी जो जनशिक्षा है उसमें ऑनलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करके ले जाये तथा साथ में आवेदन में दर्ज प्रमाणपत्र अनुसार मूल दस्तावेज भी लेकर चुने गये जनशिक्षा केन्द्र में सत्यापन करायें।
2	सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में क्या मेरा नाम लॉटरी में आ सकता है	नहीं। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात निर्धारित सत्यापन केन्द्र में जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन के उपरांत पात्र पाये गये बच्चों को ही ऑनलाइन लॉटरी में शामिल किया जायेगा।
3	प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी	<p>1 ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन करना होगा।</p> <p>2 आवेदन के पश्चात ऑपलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड कर अपने ग्राम/वार्ड के निकटस्थ स्थित शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल जो जनशिक्षा केन्द्र(संकुल केन्द्र) है वहा जाकर आवेदन में दर्ज की गयी जानकारी अनुसार मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य है।</p> <p>3 मोबाइल एप के माध्यम से सत्यापन कर्ता पात्र/अपात्र करेंगे।</p> <p>4 सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। ऑनलाइन लॉटरी में यदि नाम आता है तो ही स्कूल का आवंटन होगा।</p> <p>5 ऑनलाइन लॉटरी में नाम आने पर ही स्कूल आवंटन होगा एवं इसके पश्चात सीधे स्कूल में प्रवेश लिया जा सकेगा।</p>
4	क्या सत्यापन के समय मूल	आवेदक को आरटीई कोटा के प्रवेश हेतु अशासकीय विधालय में प्रवेश की पात्रता एवं उससे संबंधित निर्धारित दस्तावेज सत्यापन

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
	दस्तावेजों की तथा कोन-कोन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।	<p>के समय प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक का आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा। सत्यापन के दौरान निम्न मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:-</p> <p>जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसकी मूल प्रति।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति वर्ग से है तो जाति प्रमाण पत्र। ● वैध वीपीएल कार्ड/अंत्योदय कार्ड ● जिस निवास क्षेत्र के स्कूल हेतु आवेदन किया है उसका निवास प्रमाण ● जन्म प्रमाण ● फोटो ● आवेदन की पावती प्रति ● सत्यापन प्रपत्र
ऑनलाइन लॉटरी के पश्चात आवंटन के पश्चात प्रवेश के संबंध में जिज्ञासा		
1	ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश कैसे होगा।	<p>सत्यापन उपरांत पात्र होने पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से एक ही दिन में पूरे प्रदेश में।</p> <p>पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर लॉक किये गये पात्रतानुसार आवेदनों को ही सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी की कार्यवाही केवल एक चरण में ही होगी। अतः आवेदकों को अधिकतम 10 स्कूल के विकल्प चयन की सलाह दी जाती है।</p>
2	प्रवेश प्रक्रिया	<p>लॉटरी में स्कूल का आवंटन होने पर एसएमएस के माध्यम से प्रवेश की जानकारी प्रदान की जायेगी। आवेदक पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे एवं आवंटन पत्र की प्रति ले जाकर संबंधित आवंटित स्कूल में समय सीमा में प्रवेश लेंगे। प्रवेश हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर आवंटन निरस्त हो जायेगा।</p>
आवेदन करने में समस्या आने पर कहीं संपर्क किया जा सकता है।		

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
2	यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कहा से सहायता प्राप्त कर सकते है।	किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने बीआरसी कार्यालय/जिला शिक्षा केन्द्र/जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते है।